R-2326-PBR/2001

।।श्री।।

:न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.):

राजस्व मण्डल
आ. क्रं....2457
दिनांक....6-12-01

1- रामदास पिता भगवानदास उम्र-75 वर्ष,
2- शंकरदास पिता भगवानदास उम्र-65 वर्ष,
3- रामचंद्रदास पिता भगवानदास उम्र-60 वर्ष,
सभी की जाति बैरागी, धन्दा खेति एवं पूजा अर्चना, निवासीगण ग्राम बड़वेली तह0 सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) :------ प्रार्थीगण

बनाम

मध्य-प्रदेश शासन :------ विपक्षी

:निगरानीअर्ज धारा (50) भू. रा. सं. के अन्तर्गत:

न्यायवर महोदय,

श्रीमान् की सेवा में अत्यन्त नम्रता से अर्ज हैकि प्रार्थीगण हम सब ग्राम बड़वेलीतह0 सरदारपुर के निवासी होकर ग्राम बड़वेली तहसील सरदारपुरकी भूमि सर्वे नम्बर 148, 149, 150, 151, 152, 198, 214, 493, 536, होकर उक्त भूमि का कुल रकबा6.783 हेक्टर होकर उक्त जमीन पूर्वजों के समय की हमारी होकर हमारे वडिल कानाम भू-स्वामी स्वत्व से दर्ज रहा, हमारे नाम हुईरिसेंट सेटलमेंन्ट नवीन 1971-72 में सरदारपुर क्षेत्र में हुवा अधिकार अभिलेख हुवा धारा 108 भू. रा. सं. अब वह अंतिम होकर उसके अन्दर एक साल अन्दर तीन साल शासन ने चेलेन्ज नहीं किया सन् 1974-75 में भी हमें भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदान की गईऔर वर्तमान कार्यवाही दिनांक को भी हमारा नाम था यह सब होते हुवे बिना सूचना के गुप चुप राजस्व प्रकरण क्रमांक- 121/2000-01 अ/6-अ में बिना सूचना के प्रथम बेदखल हो, नाम हटे ततसंबंधी डायरेक्ट समन्स ईश्यु किया जो अवैद्यविचाराधिकार रहित है मन

निरन्तर पेज-2पर

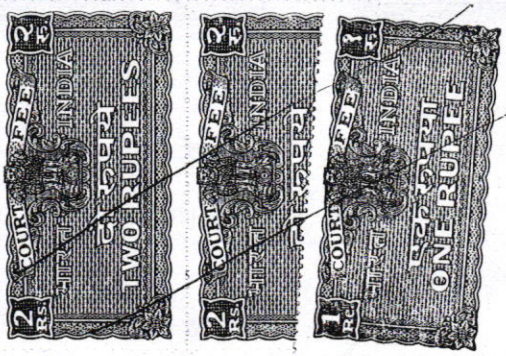

माना है, अधिकारों का हनन है, दिये गये अधिकारों के परे है मन माना है उसे अपास्त बाबत× मैंने विधीवत निगरानी अपरआयुक्त महोदयइन्दौर संभाग इन्दौर के यहाँ पेश की जो राजस्व निरगानी प्रकरण क्रमांक- 294/2000-2001 पर कायम होकर उक्त निगरानीमें फाईल तलबी केहुकुम हुवे फाईल तलबी के बाबत सूचना तेहसील को भेजी गई तब नायबतहसीलदार श्री डाबर ने यह सब जानकारी होते हुवे पुरानी तारिखों में प्रोसिडिंग लिखकर आज्ञाएँ दी है वे समस्त कार्यवाहीयाँ जो निगरानी के बादहै, अवैद्ध है अधिकाररहित है, वे भी समाप्त योग्य थी, क्योंकि करना थी ऐसा नहीं करते हुवे स्थगन आवेदन पर प्रकरण में सुना और बिना कारण बताये दिनांक 22-9-2001 के आदेश अवैद्ध थे और उसके बाद की सारी कार्यवाही अवैद्ध है विचारधिकार रहित थी वह अपास्त न कर मेरीनिगरानी बिना बोलतेआदेश के ताबे अपास्त कर दी जो अवैद्ध अधिकाररहितहै जिसे अपास्त बाबत यह निगरानी निम्न आधारों पर सादर सद्-भावनापूर्वक निम्न अनुसार पेश है ।

:: आ धा र - नि ग रा नी::

§1§:- यह कि विद्वान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर की आज्ञा अवैद्ध है कायदे को बलाए ताक रखकर है जोअपास्त योग्यहै ।

§2§:- यह कि कानुन का मान्यसिद्धान्त है कि प्रकरण अ-6-अ के हेड में मात्रदुरूस्ती होसकती है सेटलमेन्ट इन्ट्री को चेन्ज का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है अतः ततसंबंधी आज्ञाअवैद्ध है मनमानी है बिना सुने है अतः ऐसी आज्ञा व अग्रिम कार्यवाही मेरी निगरानी मंजुर कर अपास्त करना थी, मूल प्रकरण द्रापकरना था तेहसील का गौर हुवा नहीं गौर होवें ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (रामचन्द्र / शासन)

प्रकरण कमांक निगरानी 2326–पीबीआर / 2001 जिला–धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.01.2016	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 28–12–10 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 20–01–2016 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 28–12–10 से 20–01–16 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर व आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 20–01–2016 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2001 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । **अध्यक्ष**	